उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 29.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 29.09.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधित समस्याओं/अपराधों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई, जिनमें शामिल हैं:

वूमेन पॉवर लाइन – 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा – 112
एम्बुलेंस सेवा – 108, चाइल्ड लाइन – 1098, स्वास्थ्य सेवा – 102
महिला हेल्पलाइन – 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन – 1076, साइबर हेल्पलाइन – 1930

कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया गया। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित किए गए।

इस अवसर पर थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मिशन शक्ति केन्द्रों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, मार्गदर्शन और सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

"मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0" के तहत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान महोबा में सक्रिय

जनपदीय पुलिस महोबा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0" के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 29.09.2025 को जनपद महोबा की मिशन शक्ति टीम/एण्टीरोमियो स्क्वायड द्वारा ग्राम, कस्बा, मोहल्ला एवं दुर्गा पंडालों सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर भ्रमण किया गया। इन स्थानों पर चौपाल लगाकर छात्राओं, बालिकाओं एवं महिलाओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, अधिकारों और हेल्पलाइन सेवाओं जैसे वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112 आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

अभियान की मुख्य विशेषताएँ:

● **कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण:**

महिला सम्मान, सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

● **प्रशासनिक नेतृत्व और पर्यवेक्षण:**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में, सर्किल अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थानों में नियुक्त मिशन शक्ति टीम/महिला बीट अधिकारी द्वारा ग्राम चौपाल आयोजित की जा रही है।

● **जागरूकता और प्रशिक्षण:**

"मिशन शक्ति-05" के अंतर्गत बालिकाओं/छात्राओं और महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रों, मोहल्लों और शिक्षण संस्थानों में चौपाल लगाई जा रही है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जा रही हैं।

● **जानकारी एवं कल्याणकारी योजनाएँ:**

महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन और सेवाओं की जानकारी दी जा रही है, जैसे:

* महिला हेल्प डेस्क
* एंटी रोमियो स्क्वायड
* बाल श्रम उन्मूलन
* शक्ति दीदी
* यूपी-112
* वूमेन पावर लाइन-1090
* आत्मरक्षा टिप्स

साथ ही उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जैसे:

* मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
* निराश्रित महिला पेंशन
* उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
* राष्ट्रीय पोषण मिशन
* रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष
* मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
* प्रधानमंत्री मात्र वन्दना योजना

● **उद्देश्य:**

इस अभियान का उद्देश्य जनकल्याण, मानव समाज की सेवा, महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। शासन प्रशासन महिलाओं के उत्थान और सम्मान के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

“पशु क्रूरता निवारण अधिनियम” से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में आरोपी 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 50/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 29.09.2025 को सी0जे0एम0 महोबा द्वारा “पशु क्रूरता निवारण अधिनियम” से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में आरोपी 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 50/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना खन्ना में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 505/2013 धारा 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त क्रमश: 1.मो0 जमील पुत्र मो0 वकील 2.मो0 इसरार पुत्र रमजान निवासीगण चौसिया पुर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 50/- रू0 के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 400/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.09.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 400/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना खन्ना में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 51/2004 व मु0अ0सं0 240/2004 धारा 25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त शिवनरायन पुत्र रामआसरे केवट निवासी ग्राम लरौंद थाना खन्ना जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 400 रू0 के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।